[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

अधिसूचना संख्या. 55/2018 –सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 15 नवम्बर, 2018

सा.का.नि........ (अ) जहांकि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन् पश्चात् जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित ओ–एसिड, जोकि सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) [एतश्मिन् पश्चात् जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है] की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत आता है, के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना संख्या 14/31/2016-डीजीएडी, 19 दिसम्बर 2017, जिसे दिनांक 19 दिसम्बर 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित ओ-एसिड पर प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने के सिफारिश की थी"

और जहांकि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्ष के आधार पर केंद्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 6/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 12 मार्च 2018, जिसे सा.का.नि. 220 (अ) दिनांक 12 मार्च 2018 के तहत भारत के राजपत्र, आसाधारण, के भाग ।। खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के अंतर्गत विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत माल पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहांकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने ओ-एसिड के आयात पर लगाये गये प्रतिपाटन शुल्क के 'सर्कमवेंशन' के मामले में अधिसूचना संख्या 7/14/2018-डीजीएडी, दिनांक 4 मई 2018 के तहत यह निर्धारित करने के लिए जांच कार्य शुरू किया था कि विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित ओ-एसिड के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 6/2018 – सीमाशुल्क (एडीडी), 12 मार्च 2018 के तहत जो प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया था क्या उसको विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित ' ओफ्लाक्सिन इेस्टर (ओ-ईस्टर)' (एतश्मिन् पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है), जोकि सीमाशुल्क टेरिफ अधिनियम के टैरिफ मद 2934 99 00 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भी लगाया जाना जरूरी है ;

और जहांकि निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्ष, जिसे अधिसूचना संख्या 7/14/2018 –डीजीएडी, दिनांक 24 अक्टूबर 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि –

(i) चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित ओ-एसिड के आयात पर सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 6/2018 –सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 12 मार्च 2018 के तहत लगाये गये प्रतिपाटन शुल्क का सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एडी रूल्स) के नियम 25 (3) के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले ओ-इस्टर के निर्यात के माध्यम से सर्कमवेंशन कर दिया गया था । भारत में ओ-इस्टर के आयात से ओ एसिड के आयात पर पहले ही लगाए गए एडीडी का 'सर्कमवेंशन' हो जाता है ।

(ii) ओ-इस्टर का पीओआई के दौरान डम्प्ड मूल्य पर निर्यात किया गया था ।

(iii) चीन से हुए इस ओ-इस्टर निर्यात से चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित ओ-एिसड के आयात पर अधिसूचना संख्या 6/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 12 मार्च 2018 के तहत अपनाये जा रहे वर्तमान एडी उपाय कमजोर हुए है ।

और उन्होंने विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित ओ-एसिड के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 6/2018 –सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 12 मार्च 2018 के तहत वर्तमान में जो प्रतिपाटन शुल्क लगाया जा रहा है उसे अब विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत माल पर भी लगाये जाने की सिफारिश की है ।

अत: अब एडी रूल्स के नियम 27 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1), (1 क) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट अधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तुओं, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित है, जो कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों के द्वारा उत्पादित हैं, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि की बराबर की दर से, (10) के कालम की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्रम. सं.	उप शीर्ष/टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन वाला देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	मापइकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	29349900	आफलाक्स्नि इस्टर " या "9, 10–डाईफलूरो –3– मिथाईल –7–ओक्सो-2, 3–डिहाइड्रो–7H–पाइरिडो (1,2,3-डे) 1, 4-बेन्जोएक्साजिन–6-कारबोक्सिलीक	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	जिआंगझी चिबांग फार्मास्युटिकल्स लिमिटिड	जिआंगझी चिबांग फार्मास्युटिकल्स लिमिटिड	4.91	किलो ग्राम	अमेरिकी डालर
2.	29349900	आफलाक्स्नि इस्टर " या "9, 10–डाईफलूरो –3– मिथाईल –7–ओक्सो-2, 3–	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	जिआंगझी चिबांग फार्मास्युटिकल्स लिमिटिड	i.झेजिआंग केमिकल्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटिड	7.50	किलो ग्राम	अमेरिकी डालर

		डिहाइड्रो–7H–पाइरिडो (1,2,3-डे) 1, 4-बेन्जोएक्साजिन–6-कारबोक्सिलीक				ii. झेजिआंग हेंगदिआन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटिड			
3.	29349900	आफलाक्स्नि इस्टर " या "9, 10–डाईफलूरो – 3– मिथाईल –7–ओक्सो-2, 3–डिहाइड्रो–7H–पाइरिडो (1,2,3-डे) 1, 4-बेन्जोएक्साजिन–6-कारबोक्सिलीक	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	. जिआंगझी डाडी फार्मास्युटिकल लिमिटिड लाइबिलिटी कम्पनी और /या ii. यांगचेंग जींगआंझू फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटिड	i. झेजिआंग केमिकल्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटिड ii. झेजिआंग हेंगदिआनअपेलो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटिड iii. झेजिआंग यूइजी बिजनेस सर्विस कंपनी लिमिटिड iv. झेजिआंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटिड	4.90	किलो ग्राम	अमेरिकी डालर
4.	29349900	आफलाक्स्नि इस्टर " या "9, 10–डाईफलूरो – 3– मिथाईल –7–ओक्सो-2, 3–डिहाइड्रो–7H–पाइरिडो (1,2,3-डे) 1, 4-बेन्जोएक्साजिन–6-कारबोक्सिलीक	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	i.झेजियांग यूआंग हांग मेडिकल एंड केमिकल टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटिड और/या ii. इनर मंगोलिया यूआनहोंग फाइन केमिकल कंपनी लिमिटिड	i. झेजिआंग मेडीसिंस एंव हैल्थ प्राडक्ट कंपनी लिमिटिड ii.चाइना साइनोफार्म इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन iii. झेजिआंग केमिकल्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी, लिमिटिड iv.झेजिआंग जिंगयांग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटिड v. शंघाई चांगयू केमिकल टैक्नोलॉजी कंपनी लिमिटिड	4.16	किलो ग्राम	अमेरिकी डालर

5.	29349900	आफलाक्स्नि इस्टर ” या “9, 10–डाईफलूरो –3– मिथाईल –7–ओक्सो-2, 3–डिहाइड्रो–7H–पाइरिडो (1,2,3-डे) 1, 4-बेन्जोएक्साजिन –6-कारबोक्सिलीक	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	उपर्युक्त क्रम संख्या 1 से 4 में उिल्लखित से भिन्न अन्य कोई संयोजन		8.55	किलो ग्राम	अमेरिकी डालर
6.	29349900	आफलाक्स्नि इस्टर ” या “9, 10–डाईफलूरो –3– मिथाईल –7–ओक्सो-2, 3–डिहाइड्रो–7H–पाइरिडो (1,2,3-डे) 1, 4-बेन्जोएक्साजिन –6-कारबोक्सिलीक	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई देश	कोई भी	कोई भी	8.55	किलो ग्राम	अमेरिकी डालर
7.	29349900	आफलाक्स्नि इस्टर ” या “9, 10–डाईफलूरो –3– मिथाईल –7–ओक्सो-2, 3–डिहाइड्रो–7H–पाइरिडो (1,2,3-डे) 1, 4-बेन्जोएक्साजिन –6-कारबोक्सिलीक	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	8.55	किलो ग्राम	अमेरिकी डालर

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अधिसूचना सेख्या 6/2018 – सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 12 मार्च 2018 के तहत ओ-एसिड पर लगाये गये प्रतिपाटन शुल्क के सह-अवसानिक होगा और प्रतिपाटन शुल्क का भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, **1962 (1962** का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या. 354/407/2018–टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार